संख्या: 59 /2025 / 529 /चार-2025-1664448

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2025

विषय:- जनपद लखनऊ में उ0प्र0 संस्कृति संग्रहालय (पूर्व में जनजातीय संग्रहालय) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5259/सं0नि0-6(153)/2020-21, दिनांक 06 फरवरी, 2025 तथा पत्र संख्या-3891/सं0नि0-6(153)/2020-21, दिनांक 01 जनवरी, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ में उ0 प्र0 संस्कृति संग्रहालय (पूर्व में जनजातीय संग्रहालय) के निर्माण कार्य हेतु रू0 1844.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 1116.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ में निर्माणाधीन उ0प्र0 संस्कृति संग्रहालय (पूर्व में जनजातीय संग्रहालय) के निर्माण कार्य हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत 1733.78 के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि रू0 1116.00 लाख घटाते हुए तथा परियोजना हेतु 5 प्रतिशत (रू0 86.68 लाख) की धनराशि रोकते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष धनराशि रू0 531.10 लाख (रूपये पांच करोड़ इकतीस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर परियोजना की कार्यदायी संस्था- यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) शासनादेश संख्या- 10 /2024 / 45 (1) /चार-2024 दिनांक 04 जनवरी, 2024, शासनादेश संख्या-04/2023/1779/चार-2022, दिनांक 03 जनवरी, 2023 तथा शासनादेश संख्या-109/2022/498/चार-2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुए कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

https://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,31,10,000/- (रुपये पाँच करोड़ इकतीस लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखाशीर्षक** 4202048001900 उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 59 /2025 / 529 (1) /चार-2025-1664448 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य एवं अधिष्ठाता, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।